

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 8(15)नविवि/1/2003

दिनांक 4 MAY 2016

परिपत्र

विभिन्न विकास प्राधिकरणों/आवासन मण्डल/नगर विकास न्यासों द्वारा उपलब्ध कोष से अधिक राशि के कार्यों की स्वीकृति/कायदेश जारी करने की कार्यवाही की रही है, जिसके संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र/आदेश जारी कर आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। राशि के अभाव में आवश्यक कार्य शुरू न होने से आमजन द्वारा विरोध किया जाता है, जिससे राज्य सरकार की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं, जिनकी पालना समस्त विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल/नगर विकास न्यास सुनिश्चित करें:-

1. सामान्य परिस्थितियों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं कायदेश की राशि का अनुपात 1:1.5 से अधिक नहीं रखा जाये।
2. स्वीकृत कार्यों के लिए बजट प्रावधान की उपलब्धता तथा कार्य की फिजिबिलिटी सुनिश्चित हो ताकि कार्य में अनावश्यक विलम्ब/विवाद उत्पन्न न हो।
3. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति ली जावे, क्योंकि इसके अभाव में विचलन एवं अवधि विस्तारण के प्रकरण बाद में प्रेषित होते हैं, जो उचित नहीं है।
4. किसी भी कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को विभाजित करते हुए अन्य कार्य मूल कार्य में नहीं करवाये जावे। मूल कार्य में अन्य कार्य अतिआवश्यक होने पर ही पूर्व सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. गत वर्ष की आय को देखते हुए एवं भविष्य में अर्जित होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए कार्य स्वीकृत हो।
6. असाधारण परिस्थितियों में किये जाने वाले कार्यों हेतु कुछ राशि अवश्य आरक्षित रखी जाए।
7. राज्य सरकार के स्तर से स्वीकृत कार्य, बंद करने पर राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाये।
8. संस्थाएं नियमानुसार नियत समय पर अपना बजट अनुमोदित करावें।
9. पीडब्ल्यूएफएण्डएआर/विभागीय नियमों/निर्देशों/परिपत्रों की पालना सुनिश्चित की जावें।


(जगजीत सिंह मोंगा)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नविवि, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय, नविवि, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. नगर विकास न्यास.....।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, नविवि, जयपुर।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय